भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 28

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त जल प्रदान करना

†28. श्री प्रभात झाः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रत्येक ग्रामीण को बाढ़ और सूखे सहित सभी परिस्थितियों में पीने, भोजन बनाने एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं तथा मवेशियों हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ केन्द्रीय सरकार अपनी योजनाओं पर कार्य कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्रीय सरकार 'हर घर जल' की किसी योजना पर काम कर रही है जिसमें लक्ष्य को हासिल करने हेतु एक निश्चित समय–सीमा भी निर्धारित की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी में सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। तथापि, राज्य सरकारें, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की योजना बनाती हैं, डिजाइन करती हैं, कार्यान्वयन और प्रचालन करती हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को विभिन्न घरेलू आवश्यकता के लिए न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। तथापि, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अन्य उपयोगों जैसे मवेशियों के लिए राज्यों द्वारा उच्चतर कवरेज उपलब्ध कराया जा सकता है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत, मंत्रालयों ने राज्यों को 2016-17 में 5931.90 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्ष 2017-18 के लिए इस मंत्रालय को किया गया आबंटन 6050 करोड़ रुपए है जिसमें से विभिन्न राज्यों को 1169.54 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) जी हाँ, मंत्रालय एनआरडीडब्ल्यूपी की पुर्नसंरचना करने की योजना बना रहा है जो सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 की ओर अगला कदम है और 'हर घर जल' का एक स्वप्न है। यह प्रस्ताव स्तर पर है।